

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ. 14(13)(7)श्रम/विधि/2009

जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

भवन एवम अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम, संख्या-28) की धारा-5 के प्रयोजनार्थ सपठित भवन एवम अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम-2 के खण्ड (जी) के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा उपकर निर्धारण के लिए जारी की गई अधिसूचना दिनांक 14-07-2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र भाग-1 (क) दिनांक 17-09-2009 को हुआ है, में निम्नलिखित संशोधन कर, उक्त क्रम में दिनांक 15-06-2020 को जारी की गई अधिसूचना को अतिष्ठित किया जाता है :-

संशोधन

क्रम संख्या-9 में निम्नानुसार वर्णित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित क्षेत्र के लिए एतद् द्वारा निर्धारण अधिकारी (1मेपदह वीपिबमत) विवरण सम्मिलित किया जाता है।

क्रम संख्या	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया है
9	२	३
9	कॉलम २ में अंकित शब्द संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर के पश्चात समस्त उप श्रम आयुक्त, जयपुर रीजन जयपुर एवं सहायक श्रम आयुक्त, जयपुर	जयपुर जिला

राज्यपाल के आदेश से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ. 98(93)(9)श्रम/विधि/२००६

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

- निदेशक लेखन एवम मुद्रण सामग्री विभाग राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
- समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त।
- समस्त श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक।
- उप निदेशक (आई.टी. सैल) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 9 के अनुसार करवाने का श्रम करे।
- गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।